भाग–IV

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जॉच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	वन मंडल उत्तर बैतूल में प्रस्तावित रकबा 25.866 हे. राजस्व वनभूमि में भूमिगत कोयला उत्खनन कार्य (तवा–3) के उपयोग हेतु मेसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ,पाथाखेडा जिला बैतूल को निम्नलिखित शर्त पर वनभूमि उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है:– • वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार से एक अन्य प्रकरण (शोभापुर खदान रकबा 90.00 हे.) सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरण में वैकल्पिक एवं दाण्डिक वृक्षारोपण की मांग अनुसार कुल राशि रू. 25.54 करोड़ की राशि आवेदक संस्थान पर लंबित है। आवेदक संस्थान ने वैकल्पिक एवं दाण्डिक वृक्षारोपण राशि में छूट के लिये भारत सरकार नई दिल्ली को लेख किया था । भारत सरकार नई दिल्ली ने इस पर वन विभाग का अभिमत चाहा था । राज्य शासन स्तर से अनुमोदन लेने के बाद भारत सरकार नई दिल्ली को इस राशि में छूट नहीं दिये जाने का अभिमत भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। इस विषय में यदि भारत सरकार मेसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. का अभ्यावेदन अमान्य करती है तो इस राशि को प्रथम जमा करने की शर्त पर ही यह प्रस्ताव स्वीकार किया जावे।

तिथि: 05/12/2017
स्थान: भोपाल

05/12/17
(SUNIL AGRAWAL)
I.F.S.
Addl. Principal Chief Conservator of forest
(Land Management)
Madhya Pradesh, Bhopal